

20/2021 सादिल - रामदेव

दिनांक	आज्ञा पत्र	
17.8.22	पत्रावली पेश। वकील अन्याय 1 पत्रावली पेश करी मारवादी दिनांक 2.9.22 की पेश की।	
2.9.22	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपील/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 2.9.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.9.22 को पेश हों।	
14.9.22	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपील/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 14.9.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.9.22 को पेश हों।	
21.09.22	पत्रावली पेश। वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील को रेस्पोडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीव तकमील दखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	